कार्यालय जिला पंचायत, बागपत।

दिनांकः– 15/05/2018

पत्रांकः– 155 /जि0पं0,बागपत/2017–18

बीड सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, बागपत के दायित्वों के अधीन ग्राम–गौरीपुर ज्वाहरनगर, जनपद सोनीपत मार्ग पर स्थित नन्दन'कानन पार्क को सुव्यस्थित कर पार्क के संचालन, रख–रखाव तथा केन्टीन, वाटर वोट/स्पोटर्स जैसी व्यवस्था हेतु ठेके की नीलाम वर्ष–2018–19 (अवधि 31 मार्च, 2021 तक) का नीलामी इटेड्रिंग के माध्यम से दिनांक–24.05.2018 को समय 5:00 बजे तक http//etender.up.nic.in पर आमंत्रित की जाती है। इटेड्रिंग के माध्यम से ठेके कि नीलामी की बिडशीट दिनांक– 25.05.2018 को समय–11:00 बजे सक्षम अधिकारी द्वारा खोली जायेगी। उक्त ठेके की नीलामी के सम्बन्ध में शरायत नीलाम व अन्य जानकारी जनपद की वेबसाइट http//baghpat.nic.in एंव http//etender.up.nic.in पर देखी जा सकता है। ठेके से सम्बन्धित शर्ते इस प्रकार होंगी।

1– उक्त पार्क के ठेके की अवधि 03 वर्ष की होगी।

2– पार्क के मूल स्वरूप में ठेकेदार द्वारा कोई परिवर्तन स्थाई प्रकृति का नही किया जायेगा।

3– उक्त पार्क की सुन्दरता को और अधिक आकर्षक बनाने हेतु जिला पंचायत, बागपत का तकनीकी स्टाफ प्रत्येक ऋतु के अनुसार ठेकेदार को दिशा निर्देश लिखित रूप में देगा तथा कार्यालय को सूचित करेगा।

4– ठेकेदार को तकनीकी स्टाफ द्वारा दिये गये दिशा निर्देशो पर अस्थाई प्रकृति के कार्यो जैसे कि पार्क में घास लगाना, फूल लगाना, झूला डालना, तालाब मे पानी भर कर वाटर वोट चलाना या किसी प्रदर्शनी आदि को लगाने का व्यय स्वंय ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

5– ठेकेदार के अनुरोध पर पार्क की सुन्दरता मे वृद्धि किये जाने/जिला पंचायत के तकनीकी स्टाफ द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने पर स्थाई प्रकृति के कार्य हेतु व्यय जिला पंचायत द्वारा किया जायेगा। व्यय की धनराशि जिला पंचायत के प्रशासन द्वारा नियमानुसार तय की जायेगीं।

6– ठेकेदार द्वारा पार्क में प्रवेश शुल्क 5 रू0 से अधिक का नही होगा प्रवेश शुल्क में वृद्धि या कमी करने का अधिकार जिला पचांयत, बागपत को होगा।

7– विघुत/पानी की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी और उसका बिल ठेकेदार द्वारा स्वंय भुगतान किया जायेगा।

8– ठेकेदार पार्क में किसी भी प्रकार के असामाजिक कार्यो के लिये प्रयोग में नही लायेगा।

9– पार्क को राजनैतिक गतिविधियों हेतु प्रयोग नही किया जायेगा।

10–जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर पार्क का निरीक्षण किया जायेगा जिसमें ठेकेदार अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

11–पार्क में किसी प्रकार की आप्राकृतिक दुर्घटना के लिए ठेकेदार स्वंय पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।

12–पार्क में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

13–उक्त पांर्क में जलपान, कैन्टीन आदि का संचालन ठेकेदार द्वारा स्वंय अपने व्यय पर की जायेगी।

15–उक्त पार्क में सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था स्वंय ठेकेदार द्वारा की जायेगी।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बागपत।

प्रतिलिपिः–1–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बागपत को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा को इन्टरनेट पर प्रकाशित करा दें।

2–उप जिलाधिकारी, बागपत से अनुरोध है कि जिलाधिकारी महोदय कार्यालय के पत्र संख्या–156 / एस0टी0कैम्प–20 दिनांक–20 अप्रैल, 2017 के क्रम में आपकी उपस्थिति प्राथनीय है।

3–प्रशासनिक अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत बागपत को इस निर्देश के साथ कि उक्त दिनांक में नीलामी के समय कार्यालय में उपस्थित रहकर बीड की कार्यवाही में अपना सहयोग प्रदान करेगें।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत बागपत।